**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(अनुभाग–3)**

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि / नरेगा / एमआईएस / 56000 / 2014–15 जयपुर, दिनांक : 10 MAR 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एम.आई.एस. एन्ट्री के कम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 शीघ्र समाप्त होने वाला है। नरेगा सॉफ्ट में एन्ट्री के संबन्ध में कृपया निम्नानुसार कार्यवाही कराए जाने का श्रम करावे :–

1. वित्तीय वर्ष **2015–16 के समस्त प्रकार के बिल–वाउचर्स** (श्रम, सामग्री, प्रशासनिक) की **एन्ट्री 15 अप्रैल, 2016 तक आवश्यक** रूप से कर ली जावे, चाहे **भुगतान हो अथवा नही।**
2. राज्य में मस्टररोल अलग–अलग तिथि को जारी की जाती है। 16 मार्च, 2016 के उपरान्त जारी की जाने वाली मस्टररोल के प्रकरणों में पखवाडा समाप्ति की अवधि अप्रैल में होगी। ऐसे प्रकरण में दोनों वित्तीय वर्ष अर्थात **2015–16 एवं 2016–17 के लिए पृथक–पृथक मस्टररोल जारी** की जावे।
3. वित्तीय वर्ष **2015–16 के श्रम भुगतान से संबन्धित कार्यवाही** एम.आई.एस. पर **समय पर पूर्ण करावे** ताकि **वित्तीय वर्ष 2016–17 में श्रम भुगतान प्रारम्भ से ही समय पर अर्थात पखवाडा समाप्ति के 15 दिवस में सुनिश्चित** किया जा सके।

**भवदीय**

**(राधेश्याम मीना)**
**वित्तीय सलाहकार, ईजीएस**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर / बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

**वित्तीय सलाहकार, ईजीएस**